



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एससी/एसटी एक्ट व अन्य विभिन्न धाराओं में 02 अभियुक्तों को 04-04 वर्ष के कारावास एवं कुल ₹24,000 के अर्थदण्ड की सजा एवं पीड़ित को ₹25,000 क्षतिपूर्ति दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जरिया में पंजीकृत मु0अ0सं0- 566/2010, धारा- 323,324,504,506 भा0द0सं0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त (हिस्ट्रीशीटर) जयप्रकाश पुत्र गिरजा लोधी एवं अभियुक्त ठाकुरदास पुत्र बेसिया लोधी निवासीगण ग्राम परछा थाना जरिया जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 04-04 वर्ष के कारावास एवं ₹12,000- ₹12,000 के अर्थदण्ड की सजा एवं पीड़ित को ₹25,000 क्षतिपूर्ति दिलाई गई।



विशेष लोक
अभियोजक विजय
सिंह



विवेचक-
क्षेत्राधिकारी
सतीश कुमार सिंह



पैरोकार
थाना - जरिया
का0 पंकज कुमार